



भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रत्नागिरी.



संयोजक - बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, शिवाजीनगर, रत्नागिरी,

Email - ratnasindhu10@gmail.com

<http://narakasratnagiri.co.in>

छमाही बैठक दि. 23.05.2017 समय- दोपहर 3.30 बजे
स्थान- संमेलन कक्ष, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि
कार्यवृत्त

वर्ष 2017-18 की प्रथम बैठक न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि के संमेलन कक्ष में दोपहर 3.30 को संपन्न हो गई. मंचासीन मान्यवरों के कर कमलों से दीप प्रज्ज्वलन हो गया तथा प्रार्थना के बाद बैठक का आयोजक कार्यालय एनपीसीएल के श्री नांदकर ने समिति के अध्यक्ष श्री प्रदीप कांबले, उप निदेशिका डॉ सुनीता यादव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, श्री एस.चंद्रशेखर, मुख्य प्रबंधक (राजभाषा) बैंक ऑफ इंडिया तथा सदस्य सचिव श्री रमेश गायकवाड का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया.

बैठक को प्रारंभ करने से पहले समिति की छमाही पत्रिका राजभाषा रत्नसिंधु का विमोचन डॉ सुनीता यादव तथा श्री प्रदीप कांबले के करकमलों से हुआ. साथ में समिति द्वारा बनाई गई रत्नागिरी नराकास की वार्षिक कार्यक्रम पत्रिका 2017-18 का भी विमोचन किया गया. सदस्य सचिव गायकवाड ने अपनी प्रस्तावना में पत्रिका के अंतरंग को प्रस्तुत किया और घरेलू लेखन साहित्य भेजने के लिए अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि, प्रत्येक कार्यालय से कम से कम एक आलेख अवश्य भेजा जाए. उन्होंने यह भी सूचित किया कि, आलेखकारों को मानदेय भी दिया जा रहा है, उसका भी लाभ उठाएं.

सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदय जी के अनुमति से बैठक को प्रारंभ किया गया.

विषय - 1 - प्रथम सदस्य सचिव ने अपनी प्रस्तावना के बाद पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार कृत कार्यवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की और सदस्यों ने कार्यवृत्त की पुष्टि की.

कृत कार्यवाई-

1. संपादन मंडल का गठन - समिति द्वारा निम्न सदस्य कार्यालयों को पत्रिका के संपादन हेतु कार्यभार सौंप दिया गया था 1. न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन 2. एलआईसी 3. स्टेट बैंक 4. आकाशवाणी इन सभी सदस्य कार्यालयों के साथ- साथ कोंकण रेलवे, सीमा शुल्क कार्यालय का अच्छा सहयोग रहा, इन सभी के योगदान से आज आपके लिए रत्नसिंधु का नौवां अंक प्रस्तुत है.

2. कोर कमेटी का पुनर्गठन - पुनर्गठन किया गया इस में कोंकण रेलवे के श्री संतोष पाटोले को नामित किया गया. उनका कोर कमेटी में सक्रिय सहभाग रहा है.

3. कार्यशाला का आयोजन - सदस्य कार्यालय बैंक ऑफ इंडिया की ओर से हिंदी छमाही रिपोर्ट कैसा भरा जाए तथा यूनिकोड डाउनलोड करना तथा कम्प्यूटर पर सक्रिय कैसा किया जाए इस पर कार्यशाला का



आयोजन किया गया. जिसके परिणाम स्वरूप लगभग सभी सदस्य कार्यालयों ने सही रिपोर्ट भेजने का प्रयास किया गया है.

4. अनुपस्थित सदस्य कार्यालयों को अर्ध सरकारी पत्र भेजना - दि.26/10/2016 की समिति की बैठक में अनुपस्थित सभी कार्यालयों को दि.01/11/2016 को अध्यक्ष महोदय के हस्ताक्षर से अर्ध सरकारी पत्र भेज गये हैं, साथ में उनके नियंत्रित कार्यालय को उसकी प्रतिलिपि प्रेषित की गयी थी.

विषय 2 - नराकास की गतिविधियों को तेजी लाने के लिये इस बैठक में रखें कुछ सुझाव / निर्णय

- अ. ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली अगले छमाही से प्रारंभ
- आ. हिंदी छमाही पत्रिका का रजिस्ट्रेशन
- इ. 1. कार्यशाला का आयोजन 2. सभी कार्यालयों की उपस्थिति 3. समय पर बैठकों का आयोजन 4. कोर कमेटी का सदस्य कार्यालयों का दौरा 5. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सभी सदस्य कार्यालयों में बैठकों का आयोजन तथा गठन . 6. छमाही रिपोर्टों का प्रस्तुतिकरण समय पर और सही 7. हिंदी पखवाडा दि.14 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाना 8. विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन
- ई. तीन सदस्य कार्यालयों का सदस्यत्व रद्द करना 1. स्टेट बैंक ऑफ हैद्राबाद - स्टेट बैंक में विलयन 2. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. - केवल वितरण कार्यालय 3.विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक - ग्रामीण बैंक - प्रायोजक बैंक
- उ. नराकास के वार्षिक कार्यक्रम 2017-18 के अनुसार कार्यान्वयन

इसके बाद सदस्य सचिव श्री रमेश गायकवाड ने उपनिदेशक महोदय डॉ सुनीता यादव को सदस्य कार्यालयों से प्राप्त छमाही रिपोर्टों की समीक्षा तथा संबोधन के लिए अनुरोध किया.

विषय-2 तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा तथा उपनिदेशक महोदय का संबोधन

उपनिदेशक महोदय ने प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार समीक्षा के लिए प्रारंभ करने से पहले रत्नागिरी नराकास के संदर्भ में कहा कि, समिति का कार्य बहुत ही सही तरीके से चल रहा है, समिति हर समय नयापन लाने का प्रयास कर रही है. समिति द्वारा बैठकों का समय पर आयोजन किया जा रहा है, समिति की छमाही पत्रिका निरंतर प्रकाशित हो रही है, इस वर्ष 2017-18 की नराकास की कार्ययोजना बनाकर प्रकाशित की यह सराहनीय बात है और समिति के और बेहतर कार्य के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं.

सदस्य कार्यालयों ने जो आंकड़े भेजे हैं, उसमें प्रस्तुतिकरण में सुधार की आवश्यकता है. 34 कार्यालयों में से 33 कार्यालयों ने छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें जीवन बीमा निगम, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से देरी से प्राप्त होने से इसमें सम्मिलित नहीं है केवल भारत संचार निगम ने भेजी नहीं है. छमाही प्रगति रिपोर्ट समय पर भेजे, जिससे समेकन का कार्य आसानी से हो सकता है. रिपोर्ट में प्रस्तुत आंकड़ों को देखकर उन्होंने कहा कि, आंकड़े प्रस्तुति में सुधार आवश्यक है. धारा 3/3 में अंतर्गत आनेवाले सभी 14 कागजात द्विभाषा (इसकी सूची अलग से परिशिष्ट-2 में दी है) में जारी होने आवश्यक है. हिंदी में प्राप्त पत्रों का जवाब हिंदी में ही देना है. वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों के अनुसार कार्यान्वयन होना आवश्यक है. बेहतर कार्यान्वयन के लिए यूनिकोड के प्रयोग से हिंदी में ईमेल भेजे, मूल रूप से हिंदी में छोटे-छोटे पत्र बनाकर नेमी कार्य में प्रयोग करें जिससे हम अपने लक्ष्य को पार कर सकें. हिंदी जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है. तकनीकी शब्दों का लिप्यांतरण करके सहज व सरल भाषा को कठिन न बनाएं. साथ में यह सूचित किया कि, सभी सदस्य कार्यालयों के लिये एक कार्यशाला का आयोजन करें ताकि आंकड़े प्रस्तुतिकरण सही रहे. जिन कार्यालयों में तिमाही राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठके आयोजित नहीं की जा रही हैं वे समय पर आयोजित करें. प्रवीणता प्राप्त स्टाफ को शत - प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए आदेश जारी करें.



उपनिदेशक महोदया ने यह भी कहा कि, आज इस बैठक में कार्यालय प्रमुखों की उपस्थिति कम दिखाई दे रही है, अध्यक्ष महोदय को अनुरोध है कि अनुपस्थित कार्यालयों को अर्ध सरकारी पत्र भेजे तथा उसकी प्रति उनके नियंत्रणाधीन कार्यालय को प्रेषित करें.

बैंक ऑफ इंडिया प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग से पधारे मुख्य प्रबंधक श्री एस चंद्रशेखर ने अपने संबोधन में कहा कि, राजभाषा कार्यान्वयन में सकारात्मक दृष्टिकोन रखकर कार्य करते हैं तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है. इसमें कार्यालय प्रमुखों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है. बैठकों में उनकी उपस्थिति समिति को मजबूत बना देती है. समिति ने लिये निर्णयों पर अंमल लाना आसान होता है. वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वयन करें तथा लक्ष्यों को प्राप्त करें. विज्ञापनों पर ध्यान दें कोई भी विज्ञापन केवल अंग्रेजी में न हो द्विभाषा में हो, नियमों का उल्लंघन न होने पर ध्यान दें. प्रशिक्षण सामग्री हिंदी में बनायें तथा कार्यशालाओं में 2/3 अभ्यास लेना है.

अध्यक्षीय संबोधन

अध्यक्ष महोदय श्री प्रदीप कांबले जी ने अपने संबोधन में कहा कि, प्रथम सदस्य सचिव द्वारा कुछ नये प्रस्ताव रखें हैं, उसे समिति की ओर से अनुमोदन प्रदान करते हैं, जो निर्णय समिति को प्रगति के ओर लेकर जानेवाले हैं.

में यह भी सूचित करना चाहता हूं कि, ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली का प्रारंभ करें, उसके बाद इस विषय पर प्रशिक्षण का आयोजन करें. प्रत्येक तिमाही में एक कार्यशाला का सदस्य कार्यालय के राजभाषा प्रतिनिधियों के लिये आयोजन करें. सभी कार्यालयों को सम्मिलित करें ताकि रिपोर्ट्स, आंतरिक कामकाज, हिंदी ईमेल भेजना, यूनिकोड डाउनलोड / अपलोड करना आदि पर विशेष ध्यान दे. उपनिदेशक महोदया द्वारा पुरस्कार हेतु जो कुछ मापदंड दिये हैं, उसे नजरअंदाज न करें.

हमें अभी राजभाषा कार्यान्वयन को गंभीरता से लेना आवश्यक है, अन्य नराकास के कार्यान्वयन के बारे में मंडम ने जो जानकारी प्रस्तुत की उसी के अनुसार हमारी समिति का कार्यान्वयन सही पथ पर चल रहा है केवल कुछ बातों पर गौर करना चाहिये जिसमें हम पीछड़ रहे हैं. प्रत्येक कार्यालय के कार्यालय प्रमुख ने स्वयं की जिमेवारी निभायी तो इस स्थितियों को बदल सकती है. इसके लिये छमाही बैठकों में उपस्थिति यह हमारा पहला कदम होगा. समिति का हर एक कार्य तभी सफल होगा जब सभी सदस्य कार्यालयों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा. हम सभी मिलकर अधिक से अधिक हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु कार्य करेंगे. राजभाषा रत्नसिंधु पत्रिका के लिए अपने घरेलू आलेखकार, कवि तथा साहित्यकारों का सहभाग होना आवश्यक है. अपनी पत्रिका के विषय चयन - प्रस्तुति उत्तम है, इसमें और भी विविधता हमें लाना है, ताकि पाठकों में पढ़ने की रुचि निर्माण हो और पत्रिका संग्रहनीय बने. यदि हमारे समिति को अग्रसर रखना हो तो प्रथमतः सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों की बैठकों में उपस्थिति, इसके साथ रिपोर्टों का सही प्रस्तुतिकरण तथा प्रतियोगिताओं/समारोहों का सही आयोजन, आंतरिक कामकाज में राजभाषा का प्रगामी प्रयोग, वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार दिये गये लक्ष्यों को पाना यह महत्वपूर्ण है. मेरी ओर से पुनः शुभकामनाएं ।

कोर कमेटी सदस्य श्री संतोष पाटोले ने उपस्थित सभी का आभार व्यक्त किया और अन्य विषय न होने पर अध्यक्ष महोदय जी के अनुमति के साथ बैठक समाप्ती की घोषणा की गई.

(रमेश गायकवाड)

सदस्य सचिव

(प्रदीप कांबले)

अध्यक्ष

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रत्नागिरी.



उपस्थित कार्यालय प्रतिनिधियों की सूची

सं.	नाम	संस्थान का नाम
1	श्री प्रदीप कांबले	अध्यक्ष, एवं उप महाप्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया
2	डॉ सुनीता यादव	उप निदेशक, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
3	श्री एस चंद्रशेखर	मुख्य प्रबंधक(राजभाषा) बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय
4	श्री सुधाकर पाटील	कमान अधिकारी, तटरक्षक अवस्थान
5	श्री बी.बी. निकम	क्षेत्रीय रेल प्रबंधक, कोंकण रेल्वे.
6	श्री देवदत्त शेटये	उपायुक्त, सीमा शुल्क कार्यालय,
7	श्री धनंजय कदम	उपायुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर,
8	श्री वी एन हुल्लाळकर	उप आंचलिक प्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र
9	श्री ए बी कोड्डा	अधिक्षक, डाक कार्यालय
10	श्री डॉ विष्णुदास गुणगा	मुख्यधिकारी, समुद्री उत्पाद निर्यात
11	श्री सचिन नांदकर	उप प्रबंधक, न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि
12	श्री एस वाई खाडे	केंद्राध्यक्ष, आकाशवाणी
13	श्री विनय परांजपे	शाखा प्रबंधक, ओरिएंटल इश्योरेंस कं. लि
14	श्री अे डी कोली	प्रबंधक, युनायटेड इंडिया एश्योरेंस कं.
15	श्री उदय गणपत जोशी	आयकर अधिकारी
16	श्री शिवचरण राजने	सहायक अभियंता, दूरदर्शन केंद्र, रत्नागिरी
17	श्रीमती रजनी दलवाई	वरिष्ठ प्रबंधक, दि न्यू इंडिया एश्युरेंस कं,
18	श्री समरेलू राय	मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा
19	श्री चंद्रशेखर पाटील	वरिष्ठ प्रबंधक, सिंडिकेट बैंक
20	सुश्री उषा हटवार	प्रबंधक, इंडियन ओवरसीज बैंक
21	श्री नंदकुमार बने	शाखा प्रबंधक, युनियन बैंक
22	श्रीमती अरुणा केलकर	प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक
23	श्री विवेक सावंत	शाखा प्रबंधक, कार्पोरेशन बैंक
24	श्री अमोल गर्दे	वरिष्ठ प्रबंधक, सेंट्रल बैंक
25	श्रीमती प्रीता शाजी	प्रबंधक, केनरा बैंक
26	श्री धनेश्वर पवार	प्रबंधक, आंध्रा बैंक
27	श्री नितिन पाटील	प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक
28	श्री दीपक ब्रम्हपूरीकर	शाखा प्रबंधक, इंडियन बैंक
कार्यालय प्रमुख के अलावा अन्य अधिकारी उपस्थित		
29	श्री राजीव रंजन	प्रबंधक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स
30	श्री सुधाकर पालदेवार	जिला समन्वयक, भास्टेट बैंक
31	श्री संजय पावसकर	एओ भारत संचार निगम लि.
अन्य		
32	श्री कृष्णा लंबानी	उप मुख्य राजभाषा अधिकारी कोंकण रेल्वे.
33	श्री सी.एस.मयेकर	वरिष्ठ सहायक, सेंट्रल एक्साइज
34	श्री सी जे म्हामुलकर	वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी, कोंकण रेलवे
35	श्री किरण खटावकर	सहा. प्रबंधक, दि न्यू इंडिया एश्युरेंस कं,
36	श्री लक्ष्मीकांत भाटकर	निरीक्षक, सीमा शुल्क मंडल,
37	श्री विवेक सिंग	अधिकारी , बैंक महाराष्ट्र
38	श्री संतोष पाटोले	अधिकारी कोंकण रेलवे
39	श्री मौ नदीम	स्टेनो, तटरक्षक अवस्थान
40	श्री रमेश गायकवाड	सदस्य सचिव, नराकास
41	श्री सूरज माने	बैंक ऑफ इंडिया.

अनुपस्थित कार्यालय प्रमुख

1	भारतीय स्टेट बैंक	अन्य अधिकारी उपस्थित - समिति को सूचित नहीं किया था.
2	भारत संचार निगम लि	अन्य अधिकारी उपस्थित - समिति को सूचित नहीं किया था.
	ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स	अन्य अधिकारी उपस्थित - समिति को सूचित नहीं किया था.
3	भारतीय जीवन बीमा निगम	कोई अन्य अधिकारी उपस्थित नहीं थे.
4	नैशनल इन्श्युरेंस कं. लि.	कोई अन्य अधिकारी उपस्थित नहीं थे.
5	युको बैंक	कोई अन्य अधिकारी उपस्थित नहीं थे.
6	विजया बैंक	कोई अन्य अधिकारी उपस्थित नहीं थे.
7	देना बैंक	कोई अन्य अधिकारी उपस्थित नहीं थे.

कुल सदस्य कार्यालय 34 - उपस्थित कार्यालय प्रमुख - 26, अन्य अधिकारी - 3, अनुपस्थित कार्यालय - 5 .



- राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3/3 के अनुसार निम्नलिखित 14 दस्तावेज अनिवार्यतः द्विभाषा में ही जारी करना है.

संकल्प	नियम	करार
साधारण आदेश	अधिसूचना	अनुज्ञप्ति
परिपत्र	प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्ट	अनुज्ञापत्र
परिपत्रक	प्रेस विज्ञप्ति	सूचना और निविदा प्रारूप
कार्यालय आदेश	संविदा	

निम्नलिखित पुरस्कारों के मापदंडों पर गौर करें

1. छमाही पत्रिका का प्रकाशन निरंतर तथा जिसमें आलेखों का स्तर उच्च और अधिक से अधिक तकनीकी स्वरूप के हो.
2. 100% सदस्य कार्यालय प्रमुखों की उपस्थिति.
3. 100% सदस्य कार्यालयों के छमाही रिपोर्टों की प्रस्तुति.
4. बैठकों का कैलेंडर के अनुसार आयोजन
5. 7 दिन के अंदर कार्यवृत्त नराकास के वेब पर अपलोड होना.
6. कितने समारोहों का आयोजन किया गया है. (किस तरह के इसमें स्थानीय या राष्ट्रीय)
7. सेमिनार का आयोजन आदि.
8. हिंदी दिवस/ हिंदी पखवाडा मनाना





नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रत्नागिरी.

भारत सरकार, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा गठित
संयोजक- बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, शिवाजीनगर, रत्नागिरी

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति रत्नागिरी की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2017-18

- ♦ समिति की ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली
- ♦
- ♦ प्रत्येक तिमाही में राजभाषा सदस्य कार्यालय प्रतिनिधियों की बैठक
- ♦
- ♦ प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन
- ♦
- ♦ समिति द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन हेतु सदस्य कार्यालयों को सहायता
- ♦
- ♦ हिंदी छमाही पत्रिका राजभाषा रत्नसिंधु का रजिस्ट्रेशन
- ♦
- ♦ भारत सरकार से जारी वार्षिक कार्यक्रम का अनुपालन
- ♦
- ♦ हिंदी दिवस तथा हिंदी पखवाड़े का आयोजन
- ♦
- ♦ सभी सदस्य कार्यालय में यूनिकोड
- ♦
- ♦ आपसी संवाद हेतु विविध समारोह का आयोजन
- ♦
- ♦ क्षेत्रीय भाषा को उचित स्थान
- ♦

अंतिम उद्देश्य

राजभाषा कीर्ति पुरस्कार

